पर्चा डिक्री

लय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

ोन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

— 81/2025

त पुत्र मोहरसिंह पुत्र रणजीत जाति जाट निवारी गुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला मानगढ़ वादी

बनाम्

ीत पुत्र श्रीराम
िला पुत्री रणजीत जाति जाट निवारीयान भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला
िला पुत्री रणजीत हनुमानगढ
रसिंह पुत्र रणजीत
ना पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी गुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक न0 13 आरडब्लयु डी के खाता स0 112/8 की कुल 0.102 है0 में प्रतिवादी स0 1 रणजीत के 1/12 हिस्सा व चक 13 आरडब्लुडी के खाता स0 81/100 की कुल 0.710 है0 व चक 12 आरडब्लयुडी के खाता स0 43/58 की कुल 3.517 है0 में प्रतिवादी स0 1 रणजीत पुत्र श्रीराम अकेले की बजाय वादी मोहित पुत्र मोहर सिंह व प्रतिवादी स0 1 रणजीत पुत्र श्रीराम को ब0हि0ब0 अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/3/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।

Scanned with CamScanner